(3)

संख्या– 545/29/11/XIV–2/2011

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 16 अप्रैल, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुदान संख्या–31 में आयोजनागत पक्ष की जिला योजनान्तर्गत गन्ना विकास की योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति (शासनादेश संख्या–209/XXVII–1/2011, दिनांक 31.03.2011 के क्रम में)।।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2011–12 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII–1/2011, दिनांक 31.03.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के आयोजनागत पक्ष की जिला योजना में अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत कुल प्राविधानित बजट की धनराशि रू0 3,50,000 (रू0 तीन लाख पचास हजार रूपये मात्र) को निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार, सहर्ष प्रदान करते हैं।

2) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही इस धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण एवम् व्यय किया जाएगा।

3) जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय की सीमान्तर्गत एवं विभागीय प्रस्ताव के पूर्ण परीक्षणोपरान्त उक्त धनराशि हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जनपद स्तर पर मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी जारी करेंगे। जिला सेक्टर की योजनाओं में रू0 पचास लाख की सीमा तक की स्वीकृति जिलाधिकारी स्तर पर तथा उससे अधिक धनराशि वाली योजनाओं की स्वीकृति मण्डलायुक्त स्तर पर जारी की जाएगी।

4) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा अनुमोदित परिव्यय एवं योजनाओ की सीमा तक ही किया जाए। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत रूप से एवं अधिक व्यय न किया जाए। स्वीकृत धनराशि का उपयोग यदि अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जायेगा तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनसे अनधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

5) सभी कार्यक्रमों/योजनाओं के मासिक/वार्षिक भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण स्वीकृत धनराशि के आहरण पूर्व कर लिया जाए तथा उक्त निर्धारित लक्ष्यों से शासन तथा वित्त/नियोजन विभाग को अवगत कराया जाए।

6) जिला/मण्डल स्तर पर वित्तीय स्वीकृति जारी करने, स्वीकृति/व्यय की प्रगति का संकलन, नियमित अनुश्रवण एवम् प्रगति विवरण संबंधी समस्त प्रक्रिया में अर्थ एवम् संख्या विभाग के जिला/मण्डल स्तरीय अधिकारी तत्संबंधी पत्रावली सीधे जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेंगे। राज्य स्तर पर निदेशक, अर्थ एवं संख्या एक पृथक प्रकोष्ठ गठित कर जिला योजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति का संकलन करके शासन को समयबद्ध उपलब्ध करायेंगे।

7) जिला एवम् मण्डल स्तर पर संचालित विकास कार्यों का नियमित अनुश्रवण–मूल्यांकन एवम् स्थलीय सत्यापन के लिए टास्क फोर्स गठित कर सत्यापन कार्य जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त सुनिश्चित करायेंगे।

8) स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/अपर सचिव (गन्ना विकास एवम् चीनी उद्योग) उत्तराखण्ड शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

9) विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर नियमित रूप से वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः पृष्ठ–2

10) जिलाधिकारी माहवार वित्तीय/भौतिक प्रगति सम्बन्धित मण्डलायुक्त को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध करायेंगे जिसे मण्डलायुक्त द्वारा मुख्य सचिव को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। मण्डलायुक्त प्रतिवेदन की प्रति नियोजन/वित्त एवं सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को भी पृष्ठांकित की जायेगी।

11) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्यो/मद पर व्यय न की जाए, जो कि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी प्रतिबन्धित हो अथवा शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति न ली गयी हो, प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमो का अनुपालन किया जाए।

12) उक्त व्यय वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–31 के अर्न्तगत लेखा शीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म,–00–796–जनजाति उपयोजना, 91–जिला योजना, 9101–गन्ना विकास की योजना, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामें डाला जायेगा।

13) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII–(1)/2011, दिनांक 31.03.2011 के कम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या–545 (1)/29/11/XIV–2/2011, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, कुमॉऊ/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3– गन्ना एवम् चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
5– वित्त अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6– बजट राजकोषीय नियोजन संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7– संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव।

कमशः पृ

शासनादेश संख्या–545/29/11/XIV–2/2011 दिनांक 10 अप्रैल, 2011 का संलग्नक

अनुदान संख्या–31

2401–फसल कृषि कर्म

796–जनजाति उपयोजना

91–जिला योजना,

9101–गन्ना विकास की योजना

20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र.	कार्यक्रम	जनपद उधमसिंह नगर
1	उन्नतशील गन्ना बीज एवं उत्पादन योजना	70
2	बीज/भूमि उपचार कार्यक्रम	200
3	पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रम	80
	योग	350

(कुल धनराशि तीन लाख पचास हजार रूपये मात्र)

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव।